

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प 11(18)नविवि / INVEST SUMMIT / 2024

जयपुर, दिनांक

परिपत्र

“Rising Rajasthan” Global Investment Summit 2024” दिनांक 9, 10 व 11 दिसम्बर को आयोजित की जायेगी। इस Summit के माध्यम से राज्य में इन्वेस्टर्स को निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। मुख्य Summit से पूर्व राज्य स्तर पर अरबन सेक्टर की Pre-Summit का आयोजन दिनांक 14.10.2024 को किया गया। Pre-summit से पूर्व संस्थाओं को इन्वेस्टर्स से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन प्रस्तावों को जांच उपरान्त आप द्वारा सूचीकरण कर विभाग को MoU हेतु सूचित किया गया था। Pre-Investment Summit में संस्थाओं से प्राप्त MoU प्रस्तावों में से चयनित प्रस्तावों पर इन्वेस्टर्स के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये गये। शेष MoU प्रस्तावों पर संस्था/जिला स्तर पर MoU किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। (सूची संलग्न) इन MoU को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु संस्थाओं को निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. राज्य/जिला/संस्था स्तर पर जो MoU किये गये हैं उन्हे राजनिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाना हैं, इस हेतु MoU की प्रति अविलम्ब विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। (विभागीय पत्र दिनांक 15.10.2024 जारी)
2. MoU के प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु समस्त संस्थाएं प्रकोष्ठ स्थापित कर नोडल अधिकारी की सूचना विभाग को प्रेषित करें।
3. समस्त संस्थाएं प्रत्येक MoU की पृथक पत्रावली के माध्यम से इन्वेस्टर्स द्वारा चाही गई सेवाओं पर समूचित कार्यवाही अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित करें।
4. विभाग/संस्था द्वारा किये गये MoU की साप्ताहिक रूप से संस्थास्तर पर समीक्षा कर विभाग द्वारा दी गयी गूगल शीट पर नवीनतम प्रगति नियमित रूप से अद्यतन करें।
5. समस्त संस्थाओं द्वारा समिट में उपस्थित निवेशकों, कंपनियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ समन्वय कर त्वरित फॉलो-अप करें तथा उनके अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उनके द्वारा किए गए किसी भी संभावित निवेश प्रस्ताव या सहयोग के बारे में चर्चा कर आगे बढ़ाएं।
6. संस्थाओं द्वारा समस्त इन्वेस्टर्स को धन्यवाद ईमेल या पत्र भेजे जायें, जिसमें प्री समिट की सफलता और भविष्य के सहयोग की दिशा में सकारात्मक संदेश हो।

RajKaj Ref
11211440



Signature valid

Digital signed by Vaishnav Galriya
Designation: Principal Secretary To
Government
Date: 2024.10.18 09:01:21 IST
Reason: Approved

7. संस्था द्वारा समिट की पूरी रिपोर्ट तैयार की जायें जिसमें मुख्य बातें, चर्चा के प्रमुख बिंदु, पैनल चर्चा से निष्कर्ष, निवेशकों की प्रतिक्रिया, और भविष्य के अवसरों का विश्लेषण हो। MoU की रिपोर्ट में यह भी शामिल करें कि कितने संभावित निवेश प्रस्ताव आए और किन सेक्टर्स में निवेश की संभावना अधिक है।
8. समिट में रुचि दिखाने वाले प्रमुख निवेशकों के साथ व्यक्तिगत या समूह बैठकों का आयोजन करें। उनके सवालों के जवाब दें और उनके साथ निवेश के रोडमैप को स्पष्ट करें।
9. समस्त संस्थायें प्री-समिट के दौरान एकत्रित सभी जानकारी, जैसे निवेशकों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रुचि के क्षेत्रों, और निवेश प्रस्तावों का डेटाबेस बनाएं तथा उक्त डेटाबेस का उपयोग कर नये एमओयू प्रस्ताव प्राप्त करें।
10. प्रत्येक निवेश परियोजना की प्रगति के चरणों की नियमित रूप से समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि यह समयबद्ध रूप से प्रगतिरत है या नहीं।
11. यदि निवेश से संबंधित कोई सरकारी नीति या विनियामक सहायता आवश्यक है, तो संबंधित विभाग के साथ संपर्क करें।
12. निवेश की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम करने की दिशा में काम करें।
13. समिट के सफल होने और निवेश की दिशा में उठाए गए कदमों को प्रचारित करें तथा Success Stories से नियमित रूप से विभाग को अवगत कराया जायें।
14. समिट में शामिल प्रतिभागियों और निवेशकों से फीडबैक लें। उनसे जानें कि समिट में क्या अच्छा रहा और क्या सुधार की आवश्यकता है। इस फीडबैक का उपयोग भविष्य के समिट या आयोजन को और बेहतर बनाने के लिए करें।
15. समिट के बाद प्राप्त परियोजनाओं और निवेश प्रस्तावों की एक प्राथमिकता सूची बनाएं। उन परियोजनाओं पर सबसे पहले ध्यान दें जिनमें तुरंत निवेश प्राप्त हो सकता है या जिनमें तेजी से वृद्धि की संभावना है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref
11211440

Signature valid

Digitally signed by Vaihnav Galriya
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2024.10.18 09:01:21 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. शासन उप सचिव, प्रथम, द्वितीय व तृतीय, नविवि।
9. अन्य संबंधित।

शासन उप सचिव—प्रथम

RajKaj Ref
11211440

Signature valid

Digitally signed by Vaishnav Galriya
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2024.10.18 09:01:21 IST
Reason: Approved